**संख्या-567/2025/आई/1141554/23-1-25/001-23-1002(002)/297/2025**

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2025**

**विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मेरठ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 75 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **मेरठ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 75 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 57,60,22,000/- (रूपये सत्तावन करोड़ साठ लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 20,15,93,000/- (रूपये बीस करोड़ पन्द्रह लाख तिरानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110110 | महेशपुर से पिपाला खेडी सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग पिपाला (250मी0) व खेडी (450मी0) में विशेष मरम्मत का कार्य। | 0.700 | 44.58 | 15.60 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 111538 | बी0ए0मार्ग से पौण्ड्री सम्पर्क मार्ग की विशेष मरममत का कार्य। | 1.450 | 52.29 | 18.31 |
| 3 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 116003 | बी0ए0मार्ग के कि0मी0 39 से सलामतपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.300 | 52.32 | 18.31 |
| 4 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110630 | बी0एस0जी0 मार्ग से हसनपुर सैमली सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.600 | 52.10 | 18.24 |
| 5 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 111456 | मेरठ-बदायूं मार्ग से याकूबपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 4.400 | 113.04 | 39.56 |
| 6 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर | 111102 | जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा-जेवर मार्ग से अर्निया मंसूरपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य | 1.100 | 45.20 | 15.82 |
| 7 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर | 115840 | जनपद बुलन्दशहर में कुटवाया सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य | 2.330 | 50.12 | 17.54 |
| 8 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर | 110096 | रायपुर - मौज्जमपुर से पंचगई सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पर विशेष मरम्मत का कार्य | 3.32 | 74.68 | 26.14 |
| 9 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | नि.ख.-2 बुलन्दशहर | 110405 | अलीगढ़ रामघाट मार्ग (प्र0जि0मा0) के जरगवां आबादी भाग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 का कार्य | 0.500 | 123.87 | 43.35 |
| 10 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110510 | बुलन्दशहर-जेहरा-औलीना-रजवाना-औरंगाबाद मार्ग की विशेष मरममत का कार्य। | 0.450 | 52.26 | 18.29 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110473 | जौलीगढ़ से बिसुन्धरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.650 | 53.63 | 18.77 |
| 12 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110038 | बुलन्दशहर-ताजपुर से ढकौली सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.500 | 93.52 | 32.73 |
| 13 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110399 | जनपद बुलन्दशहर में हामिदपुर-सिकन्द्राबाद-कुचेसर मार्ग (राज्य मार्ग-100) के कि0मी0 67 व 68 में स्थित पुल की सर्विस रोड मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 0.800 | 44.16 | 15.46 |
| 14 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 70112 | झब्बापुरी से कुण्डा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.100 | 40.54 | 14.18 |
| 15 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110414 | डी0ए0वी0 चैराहे से अंसारी रोड तिराहा लिंक रोड (शहरी/अन्य जिला मार्ग) की विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.960 | 88.10 | 30.84 |
| 16 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर | 111374 | जनपद बुलन्दशहर में त्यौर बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य | 2.000 | 55.25 | 19.33 |
| 17 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर | 111367 | जनपद बुलन्दशहर में एम0बी0रोड से रूंसी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य | 5.650 | 72.41 | 25.34 |
| 18 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110546 | बी0ए0मार्ग से खरबा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.200 | 44.93 | 15.72 |
| 19 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 बुलन्दशहर | 110961 | चांगोली मोड से आज़मपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण का कार्य। | 0.385 | 83.43 | 29.20 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 बुलन्दशहर | 110906 | सिकन्द्राबाद-खुर्जा मार्ग से अगरई सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.800 | 65.03 | 22.76 |
| 21 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 बुलन्दशहर | 110403 | बी0बी0 नगर-स्याना-बुगरासी मार्ग (प्र0जि0मा0) के किमी0 17, 18 एवं 20 किमी0 (बुगरासी आबादी) में सी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य। | 0.415 | 67.70 | 23.69 |
| 22 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 बुलन्दशहर | 110238 | अमरगढ़-गजरौला से करियारी सम्पर्क मार्ग पर 4.00 मी0 स्पॉन की बॉक्स क्लवर्ट एवं किमी0 2(200) में सी0सी0 पेवमेंट का कार्य। | 0.200 | 60.84 | 21.29 |
| 23 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 बुलन्दशहर | 110356 | बुगरासी भगवानपुर मार्ग पर स्थित गंगानदी सेतु के मरम्मत व रंगाई-पुताई का कार्य। | 0.000 | 56.44 | 19.75 |
| 24 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110426 | स्याना-इकलैडी-हींगवाडा-वाहपुर-कुचेसर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की विशेष मरम्मत का कार्य। | 4.750 | 73.04 | 25.56 |
| 25 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110304 | ढक्का से ढकरोली सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.400 | 47.97 | 16.78 |
| 26 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110866 | जनौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.200 | 55.16 | 19.30 |
| 27 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बुलन्दशहर | 110137 | सालाबाद धमैडा से वाहपुर सम्पर्क मार्ग (अतिक्षतिग्रस्त) की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.15 | 92.08 | 32.23 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740107 | बाबूगढ़ बी0बी0नगर मार्ग से मवाना हापुड़ किठौर वाया कनिया मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 0.500 | 40.10 | 14.04 |
| 29 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740100 | अठसेनी ब्रिज से बछलौता विज मार्ग विशेष मरम्मत कार्य | 5.000 | 67.05 | 23.47 |
| 30 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740138 | रा0मा0.24 से बिहुनी मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.700 | 40.55 | 14.19 |
| 31 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740007 | रा0मा0.24 से हस्सुपुरा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 58.52 | 20.48 |
| 32 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740095 | गढ़ मेरठ मार्ग के किमी0.2 से झडीना सादुल्लापुर हिरनपुर होते हुये अक्खापुर मार्ग (अ0जि0मा0) मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 4.350 | 46.20 | 16.17 |
| 33 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740335 | रा0मा0.9 सिम्भावली राजपुर मढैया होकर मुबारिकपुर कनिया कल्याणपुर वाया महमूदपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.100 | 79.06 | 27.67 |
| 34 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 744018 | माधौपुर मौजमपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.500 | 54.03 | 18.91 |
| 35 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 744044 | सिम्भावली हरौडा से बंगोली वाया हाजीपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.300 | 75.38 | 26.38 |
| 36 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 744002 | धौलाना गुलावठी मार्ग से करनपुर जटट् मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.200 | 48.83 | 17.09 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740431 | समाना जारजा मार्ग से बझैडा कलां वाया कपूरपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.200 | 49.19 | 17.21 |
| 38 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 744036 | डी0डी0जी0 मार्ग से दहीरपुर रज्जाकपुर वाया नरैना मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 4.200 | 64.16 | 22.45 |
| 39 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740103 | एम०बी०मार्ग से गिरधरपुर तुमरेल नान मार्ग (अ0जि0मा०) | 1.150 | 85.03 | 29.76 |
| 40 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 745347 | असरा आगपुर मार्ग मुरादपुर निजामपुर वाया राजीव गांधी मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.870 | 45.54 | 15.94 |
| 41 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. हापुड़ | 740235 | बाबुगड बी०वीनगर मार्ग से बांगडपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य | 2.000 | 72.43 | 25.35 |
| 42 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बागपत | 80080 | भडल से निरपुडा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.580 | 43.55 | 15.24 |
| 43 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बागपत | 80055 | छपरौली किशनपुर बिराल, दोघट, गांगनौली मार्ग अन्य जिला मार्ग के कि0मी0 12.450, 13, 14, 15, 15 एवं 17 में मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 5.45 | 194.46 | 68.06 |
| 44 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. बागपत | 80144 | दोझा से पुट्ठी मार्ग की विशेष मरम्मत का का | 3.800 | 46.61 | 16.31 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बागपत | 70113 | अगवानपुर से झब्बापुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.750 | 50.76 | 17.77 |
| 46 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. बागपत | 80043 | नैथला मोड से राजपुर खामपुर होते हुये कोताना जागोस मार्ग पर ग्राम कोताना में क्षतिग्रस्त भाग में सी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य। | 0.630 | 108.30 | 37.90 |
| 47 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. गौतमबुद्धनगर | 100354 | दादरी बिसाहड़ा मार्ग से रनौली लतीफपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.300 | 45.31 | 15.85 |
| 48 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90200 | शहजादपुर से काकडा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 72.53 | 25.39 |
| 49 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90010 | पाईप लाइन से वाया सरना खुर्रमपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.850 | 41.46 | 14.51 |
| 50 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90091 | दुहाई से भिक्कनपुर भदौली मनौली रेवड़ी रेवड़ा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 77.32 | 27.06 |
| 51 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90382 | रा0मा0-58 से मोदीनगर कलछीना वाया जलालाबाद मार्ग के किमी-1,2,3 व 4 मे विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.500 | 51.02 | 17.86 |
| 52 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90067 | मसूरी मुरादनगर मार्ग के किमी0-1 से 6 तक विशेष मरम्मत का कार्य। | 6.000 | 86.64 | 30.32 |
| 53 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90185 | पाईप लाइन से शहजादपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.000 | 49.55 | 17.34 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90405 | भोजपुर पिलखुआ (फरीदनगर) से किन्हापुर अतिक्षतिग्रस्त मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.700 | 71.62 | 25.06 |
| 55 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90193 | पैंगा से सौन्दा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.850 | 45.84 | 16.04 |
| 56 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90114 | ग्यासपुर से खिन्दौडा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 51.64 | 18.07 |
| 57 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | - | मोदीनगर हापुड़ मार्ग से चुडियाला वाया भटजन मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 9.000 | 131.82 | 46.13 |
| 58 | I/320849/2025 dt 28.10.25 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90084 | मोहननगर लोनी वजीराबाद मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 465.64 | 162.97 |
| 59 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | नि.ख.-2 गाजियाबाद | 90074 | दिल्ली कानपुर मार्ग पर किमी0-19 (100) से 23 (600) तक विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.700 | 434.24 | 151.98 |
| 60 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70395 | मेरठ परीक्षितगढ़ आसिफाबाद मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के कि0मी0 20 में बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य। | 0.000 | 50.53 | 17.68 |
| 61 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70012 | एन0एच0-58 से भूड़ बराल उपलेहडा गाॅव मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.120 | 77.12 | 26.99 |
| 62 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70141 | मेरठ बदायू मार्ग के कि0मी0 15 से फफूण्डा होते हुये चन्दसारा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 44.62 | 15.61 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70293 | अछरोडा मोड से बहादुरपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 2.350 | 58.86 | 20.60 |
| 64 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70294 | खरखौदा मोहिउद्दीनपुर गेझा सिवालखास मार्ग से सोलाना काशी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.850 | 61.05 | 21.36 |
| 65 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70003 | परतापुर महरोली सोरखा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.400 | 96.21 | 33.67 |
| 66 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख. मेरठ | 71510 | दादरी से सकौती होते हुए कपसाड़ होते हुए गंग नहर तक मार्ग (अ0जि0मा0) का विशेष मरम्मत का कार्य। | 0.550 | 79.58 | 27.85 |
| 67 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख. मेरठ | 71400 | कंकरखेड़ा पावलीखुर्द सरधना मुल्हैड़ा बपारसी (अ0जि0मा0) के कि0मी0 10 खिर्वा आबादी भाग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 का कार्य। | 0.400 | 86.80 | 30.38 |
| 68 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | नि.ख. मेरठ | 71608 | गांव पांचली से बागपत रोड़ से अफजलपुर पावटी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.575 | 43.24 | 15.13 |
| 69 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | नि.ख. मेरठ | 71455 | लखवाया.जंगेठी मार्ग से आजाद भट्टा होते हुए सिंधावली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.335 | 51.05 | 17.87 |
| 70 | आई/304339/2025, दिनांक 09.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 76465 | बहसूमा चांदपुर ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग के कि.0मी0 4,5 के आबादी भाग रहमापुर में नाली निर्माण का कार्य। | 0.885 | 67.95 | 23.78 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक | जनपद खण्ड का नाम | यूनिक कोड | मार्ग का नाम | क्षतिग्रस्त लम्बाई | कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70685 | बोन्द्रा से सौदत्त मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.250 | 46.02 | 16.11 |
| 72 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70616 | गेसूपुर से बागवाला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 3.000 | 42.39 | 14.84 |
| 73 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | UP07VR3918 | मेरठ आसिफाबाद मार्ग से सौदत्त वाया आलमगीरपुर बढला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 4.780 | 68.64 | 24.02 |
| 74 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 70630 | मवाना किठौर हापुड मार्ग से रार्धना नवल बोन्द्रा ललियाना व गेसूपुर होते हुये मेरठ आसिफाबाद मार्ग तक (अन्य जिला मार्ग तक) की रार्धना नवल बोन्द्रा आबादी भाग में सी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य। | 1.000 | 127.78 | 44.72 |
| 75 | आई/320849/2025, दिनांक 28.10.2025 | प्रा.ख. मेरठ | 76700 | मवाना किठौर मार्ग से नासिरपुर वाया पूठी भिण्डवारा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। | 6.535 | 109.31 | 38.26 |
| | | | | | **कुल योग-** | **5760.22** | **2015.93** |

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्यों प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्यों निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला **रू0 20,15,93,000/- (रूपये बीस करोड़ पन्द्रह लाख तिरानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-567/2025/आई/1141554(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/297/2025, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।